न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 28/2021

अपीलान्ट	वनाम	रेस्पोडेन्ट
भंवरसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी भारली तहसील डेगाना जिला नागौर।		1 तहसीलदार डेगाना।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 18.06.2024

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत क्रमांक/राजस्व/2021/823 आदेश दिनांक 18.06.2021 के तहत मौजा भारली की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 23.06.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 07.07.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार डेगाना के आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/823 दिनांक 16.06.2021 की फोटोप्रति, नक्शे की फोटोप्रति, वरिष्ठ सिविल न्यायालय में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा की फोटोप्रति, न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश डेगाना में प्रस्तुत आदेश 39 नियम 07 सिपिसी की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, नजरी नक्शा की फोटोप्रति, वरिष्ठ सिविल न्यायालय डेगाना के फर्द अहकाम दिनांक 17.09.2021 से 19.07.2023 तक की फोटोप्रति, न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश डेगाना में प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अपीलाधीन आदेश अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्व, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार का होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अपीलांट को खसरा नम्बर 273 की भूमि पर किसी प्रकार का कभी भी अतिक्रमण नहीं रहा हैं, खसरा नम्बर 273 की भूमि पर उपर बताये लोगो ने अतिक्रमण कर रखे है तथा अपीलांट को जानकारी हुई है कि इन लोगो को अतिक्रमण हटा लेने के नोटिस भी तहसीलदार डेगाना ने दिये, मगर उनके अतिक्रमण नहीं हटाकर अपीलांट के बाडे की बाड को तोडकर नया रास्ता कायम करने की कोशिश की गई, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि अपीलांट के बाडे वाली भूमि में से कभी भी किसी प्रकार का रास्ता नहीं रहा। खसरा नम्बर 273 रास्ता अपीलांट के पटटासुद बाडे से बाहर रहता रहा हैं इसलिए अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

{2}(III)– अपीलांट के विरूद्व अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को न तो नोटिस जारी किया गया, न साक्ष्य सबूत पेश करने और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया, इसलिए तहसीलदार की सम्पूर्ण कार्यवाही व आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत की गई होने से अपास्त योग्य है।

{2}(IV)–अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 225 व 226 तथा खसरा नम्बर 273 का मौके पर कोई नाप चौप नहीं किया गया, अपितु अपीलांट की अनुपस्थिति का नाजायज फायदा उठाकर खसरा नम्बर 273 वास्तविक रास्ते को नहीं खुलाया गया, न इस रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया।

{2}(V)–तहसीलदार डेगाना ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में जो प्रक्रिया अपनाई वह किसी विधि में प्रावधानित नहीं है। यदि अपीलांट का खसरा नम्बर 273 की भूमि पर अतिक्रमण था, तो नियमानुसार अपीलांट के विरूद्व पटवारी की अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट होती जिस पर भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया जाता और फिर नोटिस जारी कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाता मगर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

{2}(V)–अपीलांट अपनी पटटासुद भूमि पर काबिज है और पटटाधारी के कब्जे स्वामित्व को अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है और न ही अपीलांट अतिक्रमी ठहराया जा सकता हैं, इसलिए अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

18/6/24

अपर कलक्टर, नागौर

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा भारली में स्थित गै. मु. रास्ता पर अतिक्रमण किया गया। उक्त भूमि अपीलांट की पट्टा सुद जायगा नहीं है। उक्त कार्यवाही राजस्थान सरकार द्वारा चलाये गये अभियान (रास्ता खोलो अभियान 2020) के तहत की गई है। उक्त भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता होने से उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने प्रतिबंधित भी है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा क्रमांक/राजस्व/2021/823 आदेश दिनांक 18.06.2021 के तहत मौजा भारली की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है राजस्थान सरकार द्वारा चलाये गये अभियान "रास्ता खोलो अभियान 2020" के तहत गै. मुमकिन रास्ते पर किये गये अतिक्रमण हटाने बाबत उक्त कार्यवाही की गई है। मौके पर अपीलांट स्वयं की कोई पट्टा सुद जायगा भी नहीं है, जिससे अपीलांट को सूचित किया जाना आवश्यक हो? इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

18/6/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर